



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 15 अक्टूबर, 2020

आश्विन 23, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-9

संख्या 2769/छ:-पु०-9-20-20(10)(1)-98 टी०सी०
लखनऊ, 15 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना
(शक्ति)

प०आ०-251

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय, 40-नौगावाँ सादात, 65-बुलन्दशहर, 95-टुण्डला (अ०जा०), 162-बाँगरमऊ, 218-घाटमपुर (अ०जा०), 337-देवरिया तथा 367-मल्हनी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप निर्वाचन, 2020 में मतदान के समय शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा, बुलन्दशहर, फिरोजाबाद, उन्नाव, कानपुर नगर, देवरिया तथा जौनपुर में तैनात राज्य सरकार के समस्त विभागों के समस्त राजपत्रित अधिकारियों और अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों को और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरणों और निगमों या निकायों के वेतन बैण्ड-2, रु० 9300-34,800, पे-ग्रेड रु० 4600 एवं नया वेतन लेवल-7 वेतनमान रु० 44,900-1,42,400 या उच्चतर वेतन बैण्ड का पद धारण करने वाले समस्त अधिकारियों को दिनांक 3 नवम्बर, 2020 के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिन्हें विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में जाना जायेगा, नियुक्त करती हैं और ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदान की जा सकने वाली समस्त शक्तियाँ, प्रदान करती हैं, जिनका प्रयोग वे अपने-अपने जनपद की सीमाओं के भीतर कर सकेंगे, जिसमें वे तत्समय तैनात हैं।

आज्ञा से,
तरुण गाबा,
सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2769/VI-P-9-20-20(10)(1)-98 T.C., dated October 15, 2020:

No. 2769/VI-P-9-20-20(10)(1)-98 T.C.

Dated Lucknow, October 15, 2020

IN exercise of the powers under section 21 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974), the Governor U. P. is pleased to appoint for November 3, 2020 for 40-Naugawan Sadat, 65-Bulandshahr, 95-Tundla (S.C.), 162-Bangermau, 218-Ghatampur (S.C.), 337-Deoria and 367-Malhani Assembly Constituency Bye Election, 2020 at the time of voting to maintain Law and order, all Gazetted Officers and Subordinate Gazetted Officers of all departments of the State Government and all officers holding posts carrying the Pay Band Rs. 9300-34,800, Pay Grade Rs. 4600 New Pay Level-7 Rs. 44,900-1,42,400 and above in Local Authorities and Corporations or Bodies owned and controlled by the State Government, posted in district Amroha, Bulandshahr, Firozabad, Unnao, Kanpur Nagar, Deoria and Jaunpur as Executive Magistrates to be known as Special Executive Magistrates and to confer on them all the powers of the Executive Magistrates as are conferrable under the said Code on such Executive Magistrates, to be exercised within the limits of their own respective districts in which they are for the time being posted.

By order,
TARUN GAUBA,
Sachiv.